November, 1988, publishing the Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Discipline & Appeals), Regulations, 1982, under sub-section (4) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. [Placed in Library. *See* No, LT-2298/91]

XI. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification S. O. No. 947(E), dated the 18th December, 1990, publishing the Coinage (Standard Weight and Remedy of the Commemorative Coins) of One Rupee (containing copper 75 per cent and nickel 25 per cent) coined on the occasion of completion of 15 years of Integrated Child Development Service Rules, 1990 (2), under sub-section (3) of section 21 of the Coinage Act, 1906. [Placed in Library. *See* No LT-2316/ 91]

I. Cylinder (First Amendment) Rules, 1990.

II. Notification of the Ministry of Industry (Deptt). of Company Affairs/ajmendfeg the Schedules VI and XIII of the Companies Act, 1956.

III. Notifications of the Ministry of Industry (Deptt. of Company Affairs) under sub-section (3) of section 642 of the Companies Act, 1956.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI DASAI CHOW-DHARY): Madam, I lay on the Table—

I. A copy (in English and inda) of the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Notification G. S. R. No. 50(E), dated the 29th January, 1991, publishing the Gas Cylinder (First Amendment) Rules, 1990, under sub-section (8) of section 18 of the Explosives Act, 1984. [Placed in Library. See No. LT-2273/91]

II. A copy ([in English and Hindi) of the Ministry of Industry (Depart ment of Company Affairs) Notification S. O. No. 723(E), dated the 18th Sep tember, 1990, amending the Schedules VI and XIII of the Companies Act, 1956, under sub-section (3) of section 641 of the said Act. [Placed in Library. *See* No. LT-2275/91]

III. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Industry (Depart ment of Company Affairs), under sub section (3) of section 642 of the Com panies Act, 1956: —

(1) G. S. R. 510(E), dated the 24th May, 1990, publishing the Companies (Central Government's) Central Rules and Forms (Amendment); Rules, 1990.

(2) G. S. R. No. 795(E), dated the 18th September, 1990, publishing the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Second Amendment) Rules, 1990.

(3) G. S. R. No. 796(E), dated the 18th September, 1990, publishing the Companies (Particulars of Employees) Amendment Rules, 1990.

(4) G. S. R. No. 7(E), dated the 4tb January, 1991, publishing the Company Law Board Members' (Qualifications and Experience) Amendment Rules, 1991.

[Placed in Library. For (1) to (4) *See* No. LT-2274/91]

I. Report and Accounts (1989-90) of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi and related papers.

II Report and Accounts (1989-90) of the Council for Leather Exports, Madras and related papers.

III. Notications of the Ministry of Commerce.

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

[श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल]

I. (1) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21 की उपधारा (3) और धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली का पांचवां प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(ii) प्राधिकरण के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुये विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (1) और (2) के लिए देखिये संख्या एल.टी. 2130/91]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(1) 1989-90 के वर्ष के लिये चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास का छठा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(2) परिषद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(3) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई । (1) से (3) के लिये देखिये संख्या एल.टी. 2282/91]

III. वाणिज्य मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(1) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा यथा-परमाणित प्रान के उत्पादन और निर्यात में लगे हुये व्यक्तियों द्वारा प्रान और शिरमप फीड के आयात के लिये खुले सामान्य लाइसेंस का उपबंध विनिर्दिष्ट करने वाली का. आ.सं. 15(अ), दिनांक 11 जनवरी, 1991 ।

(2) कच्ची सामग्री, संघटकों, उपभोज्यों आदि के आयात के संबंध में 5-11-90 को जारी किये गये आदेशों को 30 जून, 1991 तक और निलंबित रखने के लिये का.आ.सं. 71(अ), दिनांक 5 फरवरी, 1991 ।

(3) आयात-निर्यात नीति, 1990 - 93 (खंड I) के परिशिष्ट 2,3,6,8 और 10 में न उल्लिखित अनुमेय अतिरिक्त पुर्जों के संबंध में दिनांक 6-11-1990 के आदेशों को 30 जून, 1991 तक और निलंबित रखने वाली का.आ.सं. 72(अ), दिनांक 5 फरवरी, 1991 ।

(4) जिग्स, फिक्सचर्स, डाईज और पैटर्नस (कन्इर रोलर डाईयों सहित) मोल्डस (डाई कास्टिंग के लिये मोल्डस सहित) और प्रेस टूल्स आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खंड I) के परिशिष्ट I-- भाग क, 2 और 3 भाग क में उल्लिखित मदों को छोड़कर) के संबंध में 6-11-1990 को जारी किये गये आदेशों को 30 जून, 1991 तक और निलंबित रखने वाली का.आ.सं. 73 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 1991 ।

(5) बेटाकेम/बेटाकेम एस पी/एम-2 टाइप वीडियो कैसेट रिकार्डर्स के साथ काम करने के लिये उपर्युक्त 1/2" वीडियो कैसेट्स को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति देने वाली का.आ.सं. 733(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1990 ।

(6) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन जैसी कोयला कम्पनियों द्वारा विभिन्न मदों को आयात के लिये

आयात नीति में किये गये उपबंध को निरस्त करने वाली का.आ.सं. 734 (अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1990 ।

(7) संयुक्त राष्ट्र संगठन के संकल्प के अनुसरण में इराक तथा कुवैत से माल के आयात तथा उसके निर्यात किये जाने पर प्रतिबंध लगाने वाली का.आ.सं. 757(अ), दिनांक 7 अक्तूबर, 1990 ।

(8) सूची साख्यांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत खुला सामान्य लाइसेंस की मदों अर्थात् कच्चे माल एवं संघटकों का आयात करने की सुविधा का, जिसमें वर्तमान आयात नीति के परिशिष्ट 6, सूची 8 भाग 1 में उल्लिखित किसी अन्य खुला सामान्य लाइसेंस की मद के आयात की नम्यता होगी, उपबंध करने वाली का. आ.सं. 765(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 1990 ।

(9) आयात नीति के परिशिष्ट 6 की सूची 2 के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन जीवक रक्षक उपकरणों के आयात के संबंध में का.आ. सं. 790(अ), दिनांक 12 अक्तूबर, 1990 ।

(10) खुले सामान्य लाइसेंस सूची से बूटाक्लोर मद को हटाने वाली का. आ.सं. 832(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 1990 ।

(11) देश की विदेशी मुद्रा संबंधी विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुये खुला सामान्य लाइसेंस सूची में विशिष्ट रूप से उल्लिखित न किये गये अनुमेय अतिरिक्त पुर्जों की मदों को 6 नवम्बर, 1990 से सीमित अनुमेय मदों की सूची में अंतरित करने वाली का.आ.सं. 846(अ), दिनांक 6 नवम्बर, 1990 ।

(12) देश की विदेशी मुद्रा संबंधी विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुये खुला सामान्य लाइसेंस सूची विशिष्ट रूप से उल्लिखित न की गई अनुमेय अतिरिक्त पुर्जों की मदों को 6 नवम्बर, 1990 से सीमित अनुमेय मदों की सूची में अंतरित करने वाली का.आ.सं. 847(अ), दिनांक 6 नवम्बर, 1990 ।

(13) देश की विदेशी मुद्रा संबंधी विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुये आयात-निर्यात नीति 1990--93 (खंड 1) के परिशिष्ट 1 भाग क, 2 और 3—भाग क में उल्लिखित से भिन्न, जिग्ज, फिक्सचर्स, डाइज और पैटर्न्स (डाईकास्टिंग के लिये मोल्ड्स सहित) और प्रेस टूल्स को 6 नवम्बर, 1990 से सीमित अनुमेय मदों की सूची में अंतरित करने वाली का.आ.सं. 848(अ), दिनांक 6 नवम्बर, 1990 ।

(14) आटोमोबाइल, इलैक्ट्रानिकी वस्तुओं तथा कन्जूमर ड्यूरेबल्स के विनिर्माण में लगे हुये वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चे माल, संघटकों तथा कन्जूमेबल्स के वास्तविक मूल्य पर 15 प्रतिशत की कटौती की अनुमति देने वाली का.आ.सं. 858(अ), दिनांक 9 नवम्बर, 1990 ।

(15) नीति के अनुसार स्टार ट्रेडिंग हाऊसिंग को जारी किये गये विशेष अतिरिक्त लाइसेंसों पर, आयात-निर्यात नीति, 1990--93 (खंड 1) के परिशिष्ट 6, की सूची 8 भाग 1 के अधीन शामिल मदों के आयात की अनुमति देने वाली का.आ.सं. 873(अ) दिनांक 16 नवम्बर, 1990 ।

(16) आयात-निर्यात नीति 1990—93 के परिशिष्ट 1 भाग ख के अधीन नीति के अनुसार निर्यात घरानों तथा व्यापार घरानों को जारी किये गये अतिरिक्त लाइसेंसों पर खुले सामान्य लाइसेंस पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देने वाली का.आ.सं. 874 (अ), दिनांक 16 नवम्बर, 1990 ।

(17) खुला सामान्य लाइसेंस आयात हकदारी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये तकनीकी विकास महानिदेशालय और

आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अनुज्ञापन कार्यालय के अतिरिक्त विकास आयुक्त (लघु उद्योग) को सशक्त करने वाली का.आ.सं. 904(अ), दिनांक 23 नवम्बर, 1990 ।

(18) गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में खुला सामान्य लाइसेंस के अधीन लाइसेंस पर, एक्जीक्यूटिव और ट्रेनिंग विमानों के स्वामियों द्वारा अनुमेय और प्रतिबंधित दोनों प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों के आयात के संबंध में का.आ. सं. 935(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 1990 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (1) से (18) के लिये देखिये संख्या एल.टी.–2280/91]

कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अधीन वाणिज्य मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(1) कॉफी बोर्ड सेवक (आचरण) संशोधन नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि.सं. 709 (अ), दिनांक 16 अगस्त, 1990 ।

(2) कॉफी बोर्ड सेवक (आचरण) संशोधन नियम, 1991 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. सं. 60(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1991 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (1) और (2) के लिये देखिये संख्या एल.टी. –2281/91]

SUPPLEMENTARY DEMANDS FORGRANTS (GENERAL) 1990.91(MARCH1991)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1990-91 (March 1991).

THE BUDGET (PUNJAB) 1991-92

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government
i of Punjab for the year 1991-92.
[Placed in Library. *See* No. LT-2199/ 91]

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PUNJAB) 1990-91

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants for expenditure of the Government of Punjab for the year 1990-91. [Placed in Library. *See* No. LT-2200/91]

THE BUDGET (JAMMU AND KASHMIR) 1991-92

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of Jammu and Kashmir for the year 1991-92. [Placed in Library. See No. LT-2201/91]

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS JAMMU AND KASHMIR 1990-91

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants for expenditure of the Government of Jammu and Kashmir for the year 1990-91. [Placed in Library. *See* No. LT-2202/91]

THE BUDGET (ASSAM) 1991-92

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of Assam for the year 1991-92. [Placed in Library. See-No/LT-2203/91]